मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-26.07.2013 को अपराह्न 3.30 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

---

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों में त्वरित निष्पादनार्थ आहुत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। इसमें अपने विभाग स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई करना आवश्यक है।

2. समीक्षा के क्रम में कृषि विभाग के अधीन अवमाननावाद के 40 मामले रहने पर आपत्ति व्यक्त की गई। कृषि विभाग के संयुक्त सचिव श्री रामजी सिंह द्वारा बताया गया कि 19 मामले राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा एवं 7 मामले भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर से संबंधित है। जिस पर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि सभी कृषि विभाग के अधीन है तथा सभी मामले में यथाशीघ्र प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाय। इसी तरह सहकारिता विभाग में 10 अवमाननावाद लम्बित रहने पर प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा बताया गया कि 10 में 9 मामलें बिस्कोमान से संबंधित है। सभी दस मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

3. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में अवमाननावाद के 15 मामले लम्बित रहने के कारण सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल द्वारा बताया गया कि 4 मामले में तथ्य विवरणी भेजी गई है तथा शेष में कार्रवाई की जा रही है।

4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अवमाननावाद के 58 मामले तथा जल संसाधन विभाग के 7 मामले के बारे में मुख्य सचिव द्वारा जानकारी प्राप्त करना चाहें, लेकिन दोनों विभाग के प्रधान सचिव/मनोनीत प्रतिनिधि अनुपस्थित रहने के कारण जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, जिसके लिए खेद प्रकट किया गया।

5. इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग से प्रतिवेदन अनुपलब्ध रहने पर मुख्य सचिव द्वारा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य श्री व्यासजी से जानकारी प्राप्त की, कि कितने अवमाननावाद के मामले आपके अधीन लम्बित है। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य द्वारा बताया गया कि 366 मामले लम्बित है। मुख्य सचिव द्वारा चिन्ता प्रकट किया गया तथा प्रधान सचिव को निदेशित किया गया कि स्वास्थ्य विभाग में वादों एवं अवमाननावादों की अधिक संख्या रहने के कारण उसे विभाग स्तर पर सप्ताहिक समीक्षा कर कम किया जाय तथा लम्बित मामलों

में 8 सप्ताह के अन्दर सभी में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया जाय। प्रधान सचिव द्वारा कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग में Non-Gazatted (अराजपत्रित) कर्मियों के अधिक मामले लंबित है, जिस पर मुख्य सचिव, बिहार द्वारा कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग में एक निदेशक, प्रशासन का पद सृजित होनी चाहिए ताकि विधिक मामलों को सही तरीके से निपटाया जा सके। इस संबंध में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को निदेशक प्रशासन के पद सृजन हेतु प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया।

6. अन्य संबंधित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि लम्बित सभी मामले को 4 सप्ताह के अन्दर, सभी में शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगली बैठक में इसकी सूचना से अवगत करायेंगे साथ ही उक्त समीक्षात्मक बैठक की तिथि से तीन दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन विधि विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में निदेशित किया गया था लेकिन अधिकांश विभाग द्वारा बैठक के दिन या एक दिन पूर्व विधि विभाग को अधूरा प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित समय एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नहीं मिलने पर मुख्य सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में बैठक के तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से विधि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है, अतः अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

1.8.13

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार।

(ह०पु०आ०)

बिहार सरकार

<u>विधि विभाग</u>

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/.....जे0 पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/5934जे0 पटना, दिनांक-06/08/13

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।